राजस्थान सरकार

निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(10)वित्त/अंकेक्षण/2025 जयपुर,दिनांक 22.08.2025 के अनुसरण में FMDSS पोर्टल से जनरेट डाटा शीट अनुसार जुलाई, 2022 से मार्च, 2024 तक टिकट बुकिंग डाटा (बुकिंग वाईज) में प्राप्त आय, राजस्व मदों में चालान तथा आर.टी.सी.एफ. के खातों में स्टेटमेन्ट अनुसार जमा राशि में मदवार राशि रू. 17.50 करोड़ का अन्तर एवं अन्य अनियमितताओं की विशेष जांच हेतु निम्नानुसार विशेष जांच दल का गठन किया जाता है :–

1.	श्री राधेश्याम कुम्हार ,	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I,	(प्रभारी, भौ.स. दल सं. 76, स.माधोपुर)	प्रभारी
2.	श्री विजयपाल सिंह,	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I,	(प्रभारी, भौ.स. दल सं. 18, भरतपुर)	सदस्य
3.	श्री आशीष शर्मा,	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II,	(सदस्य, भौ.स. दल सं. 76, स.माधोपुर)	सदस्य
4.	श्री शुभम सिंघल,	कनिष्ठ लेखाकार,	(सदस्य, भौ.स. दल सं. 18, भरतपुर)	सदस्य
5.	श्री पुष्पेन्द्र सिंह,	कनिष्ठ लेखाकार,	(सदस्य, भौ.स. दल सं. 18, भरतपुर)	सदस्य

विशेष जांच कार्य शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(10)वित्त/अंकेक्षण/2025 जयपुर,दिनांक 22.08.2025 (प्रति संलग्न) के अनुसार सम्पादित करेंगे।

उपरोक्त जांच दल को निर्देशित किया जाता है कि जांच कार्य दिनांक 25.08.2025 से प्रारम्भ कर अनियमितताओं के लिए अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अभिलेखीय साक्ष्यों सहित 15 दिवस में पूर्ण कर विशेष जांच प्रतिवेदन 04 प्रतियों में (दो मूल प्रति सहित) मय परिशिष्टो के निदेशालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(कीर्ति जैन)
निदेशक

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/18740–760. दिनांक :– 22.8.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
5. विशिष्ट शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, सवाई माधोपुर को प्रेषित कर लेख है कि विशेष जांच दल को जांच कार्य हेतु वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने, पोर्टल का एक विज्ञ कार्मिक मय कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर के उपलब्ध करावें एवं जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान कराने हेतु संबंधितों को निर्देशित करावें।
9. प्रभारी, आंतरिक जांच शाखा/भौतिक सत्यापन/संस्थापन/लेखा/रोकड़ शाखा।
10. संबंधित जांच दल प्रभारी/सदस्य श्री राधेश्याम कुम्हार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, प्रभारी, भौ.स. दल सं. 76 स.माधोपुर/श्री विजयपाल सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, प्रभारी, भौ.स. दल सं. 18 भरतपुर/श्री आशीष शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, सदस्य, सदस्य, भौ.स. दल सं. 76 स.माधोपुर,/श्री शुभम सिंघल कनिष्ठ लेखाकार, सदस्य, भौ.स. दल सं. 18, भरतपुर/श्री पुष्पेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखाकार, सदस्य भौ.स. दल सं. 18 भरतपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विशेष जांच कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
11. सूचना सहायक, निदेशालय, निरीक्षण विभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी, विशेष जांच दल को ई–मेल द्वारा भिजवाया जाना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।
12. रक्षित पत्रावली।

(रामेश्वर परसोया) निदेशक
अतिरिक्त निदेशक
(अंकेक्षण)